

निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016 (प०ब०)
दूरभाष सं०: 033-22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 07 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 19 -11-2018
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 07/37-G-15(EPGRO) DATED 19 -11-2018

I. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव०-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिविजन-I (डिव० II से पदोन्नत)) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल-8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री रोबर्ट टिकी	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2018

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New court order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No. 215/2015 Shri S.P. Ringola and Others Vs Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'B' Non-Gazetted (Division-I (Promoted from Division II)) of this Directorate is granted third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-8 with effect from the date as mentioned against his name :-

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Robert Tirkey	Senior Reprographer	01-01-2018

उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-19 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-19 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-5621/1902- एम०ए०सी०पी० (पु०मु०व०)दिनांक 16-10-18)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव०-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97- सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ की तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री बादल कुमार सरकार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्ति)	01-01-2008	6,500-200-10,500
2.	श्री श्यामल बिकाश बिस्वास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2008	6,500-200-10,500

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No. 215/2015 Shri S.P. Ringola and others Vs Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promoted from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Badal Kumar Sarkar	Senior Reprographer (Retd.)	01-01-2008	6,500-200-10,500
2	Shri Shyamal Bikash Biswas	Senior Reprographer	01-01-2008	6,500-200-10,500

उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-19 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-19 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-5824/1902-ए०सी०पी० (पु०मु०व०)दिनांक 26-10-18)

III. स्थानान्तरण पर आये (INCOMING ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

The undermentioned officer is reported in this office on transfer :-

क्र०म० Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुए Transferred from which office	स्थानान्तरण की दिनांक Date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री संजय कुमार, निदेशक /Shri Sanjay Kumar, Director	निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, जी०डी०सी०, कोलकाता / Director, West Bengal and Sikkim GDC, Kolkata	01-10-2018 (A/N)	S.G.'s letter No. C-5335/701-Director dated 26-09-2018.

IV. स्थानान्तरण पर गये (OUT GOING ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी स्थानान्तरण पर गये :-

The undermentioned officer have relieved from this office on transfer :-


क्र०म० Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय पर स्थानान्तरण हुए Transferred to	स्थानान्तरण की दिनांक Date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री पी० कुमार, प्रबन्धक (कनिष्ठ) / Shri P. Kumar, Manager (Jr.)	निदेशक, दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद / Director, Southern Printing Group, Hyderabad.	28-09-2018 (A/N)	S.G.'s letter No.E1- 5580/594-प्रबन्धक दिनांक 18-09-2018.

V. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्रम सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री रोबर्ट टिर्की	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	30-09-2018
2.	श्री सतीनाथ मण्डल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	30-09-2018
3.	श्री समीर कुमार भौमिक	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	31-10-2018

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Robert Tirkey	Senior Reprographer	30-09-2018
2.	Shri Sathnath Mondal	Senior Reprographer	30-09-2018
3.	Shri Samir Kumar Bhowmick	Senior Reprographer	31-10-2018


(संजय कुमार)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. गार्ड फाईल /फाईल : 4-F-1(MACP) / 4-F-12 ।

ई-मेल द्वारा